E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2020; 2(3): 637-639
Received: 11-06-2020
Accepted: 16-07-2020

संगीता कुमारी
शोधार्थी, गृहविज्ञान विभाग, जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार, भारत

Corresponding Author:
संगीता कुमारी
शोधार्थी, गृहविज्ञान विभाग, जे.पी. विश्वविद्यालय, छपरा, बिहार, भारत

समाज में हो रहे महिलाओं पर अत्याचार का प्रभावः एक अध्ययन

संगीता कुमारी

सारांशः
अपराध सामाजिक अव्यवस्था एवं विचलन का कारक है और यही अपराध जब लिंग विशेष के विरूद्ध पारित होता है तब इसके परिणाम और भी अधिक भयंकर होते हैं। लिंग आधारित अपराध इस बात का द्योतक है कि महिलाएँ एक सहज एवं सरल शिकार है जिनका आसानी से उत्पीड़न किया जा सकता है एवं इसमें खतरा भी कम है क्योंकि इन्हें असहाय एवं निर्बल माना जाता है। जिसका कारण सामाजिक मान्यताएँ एवं अप्रभावी विधिक व्यवस्थाएँ हैं। परिणामस्वरूप महिलाओं के विरूद्ध पारित लिंग आधारित अपराधों में निरंतर वृद्धि जारी है।

प्रस्तावनाः
आज महिलाओं के जीवन में अनेक समस्यायें हर समय किसी न किसी रूप से उन्हें आक्रान्त करती हैं। महिलाओं के साथ समस्याओं का पूरे जीवन भर विभिन्न रूपों में साथ बना रहता है। अधिकांश परिवारों में कन्या के जन्म को ठीक नहीं माना जाता। अगर पहली संतान के रूप में कन्या का जन्म होता है तो पहली संतान के समय होने वाली खुशी आधी ही रह जाती है, इसके विपरीत अगर संतान के रूप में पुत्र की प्राप्ति हो तो यही खुशी कई गुणा बढ़ जाती है। कन्या को जन्म के समय से ही बोझ मान लिया जाता है।
बेटा जैसे–जैसे बड़ा होने लगता है, वैसे ही माता–पिता को यह आशा होने लगती है कि वह पिता के साथ काम करके अथवा नौकरी आदि द्वारा धन अर्जित करके घर की स्थिति को और भी अधिक मजबूत करेगा। बेटी जैसे–जैसे बड़ी होने लगती है, वैसे–वैसे ही माता–पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगती है। शादी के खर्च तथा दिये जाने वाले दहेज की व्यवस्था के बारे में सोच–सोच कर उनकी रातों की नींद उड़ने लगती है। बेटे की शादी के बाद माँ को सास के रूप में बहू पर राज करने का सुख मिलने की उमंग होती है, वहीं शादी के बाद बेटी की विदाई पर कलेजा फटने को होने लगता है।
नारी सृष्टिकर्ता है, जननी है, संस्कृति की सम्पोषक है, समाज की धरोहर है, ममता की प्रतिमूर्ति है, त्याग और बलिदान की जीवंत मिसाल है, यह एक ऐसा सत्य है जिसे मानव–समाज झुठला नहीं सका है और न ही कभी झुठला पाएगा लेकिन नारी के प्रति बढ़ते हुए अपराध के घेरों का जब विश्लेषण किया जाता है तो हमारे समाज और व्यवस्था के समक्ष अनेक प्रश्नचिन्ह लगे हुए दिखाई देते हैं, लोकतांत्रिक चेतना का पतन स्पष्टतः नजर आता है। इतना ही नहीं, भारतीय संस्कृति, सभ्यता, मानवीय मूल्यों एवं मानव–विकास की बात भी बेमानी प्रतीत होती है। नारी जिस प्रताड़ना, शोषण एवं यातना के दौर से गुजर रही है वह प्रतीक है–हमारी मानसिक कुरूपता, हमारी विसंगतियों एवं अचेतना की।
यह उल्लेखनीय है कि नारी के विरूद्ध किए गए अपराधों की संख्या पंजीकृत अपराधों की तुलना में कहीं ज्यादा अधिक होती है क्योंकि लोक लाज के भय के कारण अथवा समाज के दबाव के कारण नारी अपने उत्पीड़न की घटना को मौन होकर सह लेती है और उसके परिवार वाले भी इस अन्याय और शोषण के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाते अपितु आतंकित एवं भयभीत होकर चुप्पी साध लेते हैं। आज नारी की प्रगति और उसके उत्थान की बात हम विभिन्न सेमिनार, गोष्ठी तथा समारोहों में करते हैं। यहाँ तक कि नारी के विरूद्ध होनेवाले अत्याचारों की चर्चा भी हमारी गोष्ठियों के प्रमुख विषय बनते हैं लेकिन हम एक पीड़ित, शोषिता तथा यातना के भयावह दौर से गुजरने वाली नारी को न्याय दिलाने का प्रयास नहीं करते, यहीं पर आकर हमारे सिद्धान्त, हमारे मूल्य, हमारे नारे खोखले हो जाते हैं।
बलात्कार एक संगीन अपराध है। पुरूष अपनी क्षणिक पशुवत तुष्टि के लिए नारी के शील के साथ खिलवाड़ करके उसे जो मानसिक यातना पहुँचता है, उस यातना का कहीं अंत नहीं होता। यह एक ऐसा अपराध है कि अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा भी दी जाए तो भी शोषित के घाव भरे नहीं जा सकते और उस समय उसकी स्थिति अत्यधिक दयनीय हो उठती है जब बलात्कारी अपराध करके आजादी से खुलेआम सड़क पर घूमता है।

भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 376 के अन्तर्गत बलात्कार एक दण्डनीय अपराध है जिसके लिए बलात्कारी को आजीवन कारावास तक की सज से दण्डित करने का प्रावधान है।

हम अपने देश में जब नारी की सामाजिक सुरक्षा पर विचर करते हैं तो हमें लोकतंत्र की सुदृढ़ता तथा नैतिक आस्था डगमगाती हुई दिखाई देती है। इस संदर्भ में मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा असुरक्षित राज्य है। इसके बाद उत्तर प्रदेश फिर महाराष्ट्र और इसी तरह राजस्थान, आंध्रप्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, गुजरात, कर्नाटक, हरियाणा, तमिलनाडु केरल, पंजाब, हिमाचल, अरूणाचल राज्य आते है।

इसे विडम्बना कहे अथवा एक कड़वा सच कि प्रतिवर्ष बलात्कार अपराध में वृद्धि हो रही है, दूसरी तरफ इनके दोषियों को न्यायालयों में दण्ड मिलने में कमी आ रही है। एक तरह से यह परोक्ष रूप से दोषियों को अपराध करने का बढ़ावा देता है। लगभग 80 प्रतिशत बलात्कार के ऐसे मामले में जो न्यायालय में कई साल से चले आ रहे है। न्याय की लम्बी प्रक्रिया पीड़ित नारी को अत्यधिक विक्षुब्ध तथा हताश करती है इसमें सुधार की नितान्त आवश्यकता है।

बलात्कार पीड़िता कभी–कभी इतनी ज्यादा विक्षुब्ध हो उठती है कि वह आत्महत्या कर लेती है। इस प्रकार यह अपराध नारी के प्रति होनेवाले हिंसक अपराधों में से एक प्रमुख अपराध के अन्तर्गत आता है। यह जरूरी नहीं है कि निर्धन तथा अशिक्षित महिलाएँ ही इस अपराध का शिकार बनती है, शिक्षित कामकाजी महिलाएँ भी इसका शिकारा होती पाई गई है। बलात्कारी कामुकता में मदांध होता है वह कभी भी किसी भी वर्ग की महिला के साथ यह अपराध कर बैठता है यहाँ तक कि पागल, अंधी, गूँगी, बहरी तथा बेहद लाचार महिलाओं के साथ वह घृणित अपराध कर डालता है। ये बलात्कारी इतने हिंसक हो उठते हैं कि बलात्कार के बाद शोषित की हत्या भी कर देते है। ऐसी पैशाचिक प्रवृति वाले अपराधी मासूम बच्चियों तक के साथ यह घृणित कार्य करने से नहीं चूकते। समाचार पत्रों में 16 वर्ग तथा 10 वर्ष से कम आयु की बच्चियों के साथ बलात्कार अपराध होने की घटनाएँ प्रकाश्ति होती रहती है। 1993 में दिल्ली में 321 बलात्कार के मामले दर्ज हुए जिनमें से 35 पीड़िताओं की उम्र सात साल से भी कम थी। 1994 में 962 बलात्कार की घटनाएँ हुई जिनमें से 928 लड़कियाँ नाबालिग थी। 1994 में महाराष्ट्र के जलगाँव में 500 मासूम बच्चियों के साथ सामूहिक बलात्कार की घटना प्रकाश में आई थी। हमारे देश की यह सबसे बड़ी शर्मनाक घटना थी। वह नारी जिसकी पवित्र कोख से पुरूष जन्म लेता है, जिसका अथाह ममता की छाँव में वह बड़ा होता है उसी के वह उत्पीड़ित करके अपनी दरिंदगी का कितना घृणित उदाहरण देता है।

दहेज विभीषिका एक आपराधिक त्रासदी का रूप धारण करती जा रही है। समाज की इकाई घर है और घर का उत्तरदायित्व संभालने वाली नारी आज संत्रास तथा तनाव के घर में है। विवाह के बाद दहेज के कारण वह अपने ही घर में सुरक्षित नहीं है। जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो एक विकट समस्या जन्म लेती है। मानवीय मूल्यों के स्थान पर दिन पर दिन अनाचारात्मक क्रियाएँ स्थान ले रही है। भ्रष्टता, अनीति, खंडित मानसिकता इन सब तत्वों के पनपने तथा विकसित होने के कारण ही दहेज के कारण बहुएँ जलाई जा रही है। दहेज मौंतों की संख्या निरन्तर बढ़ती जा रही है।

दहेज हत्या प्रकरण में यह बात उल्लेखनीय है कि नारी के विरूद्ध होनेवाले इस अत्याचार में नारी की अत्याचारिणी की भूमिका निभाती है। दहेज कम लाने पर सास और ननद लड़की को विविध प्रकार की यातनाएँ देने में आगे रहती है। कभी–कभी इतनी भयावह यातनाएँ दी जाती है कि लड़की आतंकित होकर स्वत : आत्म हत्या कर लेती है। आज मानवीय मूल्य कितनी तेजी के साथ गिर गए हैं कि नारी ही नारी के प्रति संवेदनशील नहीं रही। संबंधों की ऊष्मा खत्म हो गई है, अवशेष कुछ भी नहीं रहा है।

आजकल एक नए अपराध ने भी जोर पकड़ा है वह है कन्या भ्रूण हत्या का अपराध। वैज्ञानिक प्रणाली ने अब नारी को गर्भ में भी असुरक्षित कर दिया है। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों जैसे–एनिमिया सेटेलिसे, अल्ट्रा स्कैनिंग आदि के कारण कन्या भ्रूण हत्या को काफी बढ़ावा मिलता है सोनोग्राफी और गर्भपात केन्द्र प्रतिवर्ष बढ़ते ही जा रहे है। 1996 के एक सरकारी अध्ययन से यह तथ्य उजागर हुआ था कि हमारे देश में 84 प्रतिशत डॉक्टर भ्रूण के लिंग की जाँच कर कन्या–भ्रूण हत्या का धंधा कर रहे है। हम 21वीं सदी में पहुँच गए है लेकिन आज भी हम कन्या पैदा होाने पर दु:खी होते है और बेटे के जन्म लेने पर खुशी से थाली बजाते है। समाज की यह गलत धारणा है कि एक लड़की परिवार के लिए दुर्भाग्य होती है। भ्रूण के लिंग का पता लगाना व उसका गर्भपात कराना एक अवैध तथा अनैतिक कार्य है। भारत लगभग प्रतिवर्ष छह लाख गर्भपात कन्या शिशु के होते है।

वेश्यावृत्ति एक शर्मनाम वृत्ति है, महिलाओं को इस वृत्ति की ओर जबरन धकेलना एक घोर अपराध है और बाल वेश्यावृत्ति जुड़ जाने से समाज का पतन और भी बढ़ गया है। सन् 1994 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की महिला एवं बाल विकास विभाग की सलाहकार समिति ने बाल वेश्यावृत्ति का व्यापक सर्वेक्षण करवाकर एक रिपोर्ट सरकार को सौंपी थी। यह सर्वेक्षण छह महानगरों के रेड लाइट एरिया में करवाया गया, जिसके अनुसार 25 प्रतिशत बच्चियाँ 15 वर्ष से कम आयु में ही जबरन इस वृत्ति में धकेल दी गई। वह बचपन जो खेल–खिलौनों में बीतना चाहिए, वह बचपन जो माँ–बाप की ममता तथा वात्सल्य की छाँव में बीतना चाहिए आज ऐसे दुष्कृत्य के लिए विवश है। मासूम बच्चियों को बहला–फुसला कर वेश्यावृत्ति के नरक में घसीटता बहुत बड़ा अपराध है। 'द प्रोग्रेस ऑफ द नेशन्स'' यूनिसेफ द्वारा सन् 1995 में जारी रिपोर्ट के अनुसार केवल एशिया में 10 लाख से अधिक बाल वेश्याएँ है। इनमें 4 से 5 लाख वेश्याएँ केवल भारत में है। यह रिपोर्ट यह तथ्य भी उद्घाटित करती है कि मुम्बई में 10 हजार बाल वेश्याएँ है। बच्चियों के यौन–शोषण को बढ़ावा देने के पीछे स्थानीय लोगों का हाथ तो रहता है, विदेशी पर्यटकों का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। कहने को तो हम स्वतंत्र भारत में साँस ले रहे हैं, लेकिन महिलाओं के प्रति अपराधों के ब्योरे के देखते हुए यह कड़वा सच हमारे सामने उजागर होता है कि हमारे देश में नारी के प्रति अपराध बढ़ते जा रहे हैं और हमारी सुरक्षा पर न जाने कितने प्रश्न चिन्ह लगे हुए है। नारी जो अपनी ममता, त्याग और बलिदान से संपूर्ण समाज का पोषण करती है, उसे ही अपनी माँ के गर्भ से ही अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है और इस संसार में आँखें खोलने के बाद उसका संघर्ष निरंतर जारी रहता है। नारी जीवन की यह कैसी विडम्बना है, कैसी विचित्र त्रासदी है, इससे उबरने के लिए समाज की मनोवृत्ति का परिवर्तित किया जाना अनिवार्य है। नारी के प्रति समाज की सोच में परिवर्तन लाना पड़ेगा। वह केवल भोग्या नहीं है, वह मांसपिण्ड का एक शरीर ही नहीं है वह आज के समाज की शक्ति है, समाज के नवनिर्माण की प्रक्रिया में सहायिका है। नारी के प्रति बढ़ते हुए अपराध को रोकने के लिए दोषी व्यक्तियों के सख्त सजा दिलवाने के प्रावधान को अपनाना पड़ेगा। महिला थानों को अधिक से अधिक संख्या में खोला जाना चाहिए, जिससे महिलाएँ नि :संकोच आपराधिक कार्यवाही के विरूद्ध रिपोर्ट लिखवा सके। अश्लील, सैक्स तथा हिंसात्मक फिल्मों पर प्रतिबंध लगना चाहिए। नारी–शिक्षा के पाठ्यक्रम में शारीरिक शिक्षा के विषय भी शामिल किए जाए तथा नारी को अपनी आत्मरक्षा हेतु जूडो–कराटे

सीखन के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। स्वयं नारी को भी सबला बनने क संकल्प लेना होगा। आज नारी को अपनी सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षणिक तथा आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए स्वयं बीड़ा उठाना होगा और अपने ऊपर लगे अबला के लेबल को उतर कर फेंक देना होगा। नारी के प्रति बढ़ते हुए अपराध के रोकने के लिए संपूर्ण समाज को कृतसंकल्प होना होगा अन्यथा ये अपराध इसी तरह बढ़ते रहेंगे और न्याय के लिए शोषिता नारी की चीत्कारें इसी तरह गूँजती रहेगी। उपरोक्त विषय वस्तु शोध के लिए सर्वथा उपयुक्त है।

निष्कर्षः

आज दुनिया भर में महिला विकास की चर्चा है, इस विषय पर सेमिनार, कार्यशालाएँ आयोजित की जा रही हैं और कुछ ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि दुनिया भर के संसाधन आज महिला विकास को ही समर्पित है। ठीक है कि महिलाओं का कुछ विकास हुआ है लेकिन यह पूरा सच नहीं है। कुछ लोगों का भ्रम हो सकता है कि आज महिलाओं की पारिवारिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया है लेकिन यह तस्वीर का एक रूख है जो वास्तविकता से बेहद दूर है। तस्वीर का दूसरा रूख कहीं अधिक स्याह कहीं अधिक निराशाजनक है।

संदर्भः

1. धुर्ये, जी.एस. (1956): कास्ट एण्ड रेस इन इण्डिया, राजपाल एण्ड सन्स, दिल्ली।
2. हट्टन, जे.एच.(1980): कास्ट इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस, बम्बई।
3. कौसाम्बी, डी.डी. (1969): प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता, राजकमल प्रकाशन, दिल्ली।
4. ओंकार केडिया एवं मनोज पाण्डे, (2001), आम नागरिक अधिकार और सुविधाएँ, प्रकाशन विभाग, भारत सरकार।
5. इफ्तिखार फरीदी, 1984 ''औरत, माँ, बहन, बीबी और बेटी'' अरशी पब्लिशर इण्डिया रकाब गंज, दिल्ली।
6. आई.एल.ओ.1964 ''वर्किंग वुमैन इन चेंन्जिंग इंडिया'' इम्प्लाईमेन्ट ऑफ वुमैन विद फैमिली रेस्पोंसिबिलिटी, जनेवा।
7. कपूर प्रमिला, 1974 ''लव मैरिज एण्ड सेक्स'' विकस पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली।